न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1296–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–04–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील बरेली जिला रायसेन प्रकरण कमांक 5/अ–13/2012–13

.....

1–भगवानसिंह आत्मज श्री प्रहलाद धाकड़
निवासी उॅटियाकलॉ तहसील बरेली
जिला रायसेन
2–प्रतापसिंह आत्मज श्री जगन्नाथ धाकड़
निवासी उॅटियाकलॉ तहसील बरेली
जिला रायसेन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–कडोरीलाल आत्मज श्री बारेलाल धाकड़
निवासी उॅटियाकलॉ तहसील बरेली
जिला रायसेन
2–साहबसिंह आत्मज श्री कडोरीलाल
निवासी उॅटियाकलॉ तहसील बरेली
जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री रामकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/12/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की ग्राम उँटियाकलॉ स्थित भूमि सर्वे कमांक 488/3/1 रकबा 2.20 एकड़ व सर्वे कमांक 488/5 रकबा 0.60 एकड़ तथा सर्वे कमांक 488/6 रकबा 1.64 एकड़ तक आने जाने का एक मात्र 10 फीट चौड़ा रास्ता आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, जो आवेदकगण की मेढ़ से होकर जाता है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–13/2012–13 दर्ज करते हुये कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में आवेदकगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाते हुये दिनांक 27–04–2015 को आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के इसी अंतरिम आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सरपंच एवं ग्राम वासियों ने एक पंचनामा अधीनस्थ न्यायालय में लिखकर दिया था कि अनावेदकगण को एवं उसके पडोसी अन्य कृषकों को तलैया वाला गोहा का रास्ता उपलब्ध है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य एवं विधि के विरूद्ध निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदकगण के पास अपने खेतों में पहुँचने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का अंतरिम आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किये बिना ही अनावेदकगण के लिये अंतरिम रास्ता खोला गया है, जो अवैधानिक कार्यवाही है । विधि का यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा स्थानीय जॉच करने के बाद रूढिगत मार्ग के खोलने का आदेश दिया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रूढिगत मार्ग ना होने पर तथा स्वयं स्थानीय जॉच ना करने के बाद भी आलोच्य आदेश पारित करने में त्रुटि

की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम रास्ता खुलवाये जाने में मौके पर स्वयं उपस्थित होकर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, बल्कि मौके पर स्थल निरीक्षण राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा स्वयं की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कराया जाकर कार्यवाही की जानी चाहिये । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर स्थल निरीक्षण कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर